न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्या: 92/2025 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2025/95**

1. प्यारचन्द पुत्र खुशिया उर्फ खुशीराम पुत्र नंदू
2. सुभाष चन्द पुत्र खुशिया उर्फ खुशीराम पुत्र नंदू
3. सुरिन्द्र कुमार पुत्र बंशीलाल पुत्र खुशिया उर्फ खुशीराम पुत्र नंदू
4. अशोक कुमार पुत्र बन्शीलाल पुत्र खुशिया उर्फ खुशीराम पुत्र नंदू
5. बीरूराम पुत्र बन्शीलाल पुत्र खुशिया उर्फ खुशीराम पुत्र नंदू
6. प्रीतमचन्द पुत्र बन्शीलाल पुत्र खुशिया उर्फ खुशीराम पुत्र नंदू

निवासीगण गांव व डाकखाना घियोरी, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)– जरिये मुखत्यार आम संजीव कुमार पुत्र सुभाष चन्द पुत्र खुशीया उर्फ खुशीराम पुत्र नन्दू, निवासी गांव व डाकखाना घियोरी, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)

—— अपीलान्ट्स

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रावला, जिला श्रीगंगानगर।
2. कीकर सिंह पुत्र नत्थु, साकिन डुग्गी, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)।

—— रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः श्री बालकिशन शर्मा – अभिभाषक अपीलांट
श्री दिपक शर्मा – रेस्पोडेन्ट संख्या 2

निर्णय

दिनांक 08.10.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के आदेश दिनांक 08.07.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि के पिता/दादा खुशीराम पुत्र नन्दू को पूर्व में तहसील छत्तरगढ़ नं. 02 के चक 4 केडब्ल्युएम का मुं.न 57/03 दिनांक 28.09.1973 को आवंटन किया गया था लेकिन उक्त मुरब्बा किसी अन्य व्यक्ति को नवीनीकरण के संबंध में प्रकरण चला रहा था इसलिए उक्त मुरब्बे का कब्जा अपीलांट्स

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पिता/दादा खुशिया उर्फ खुशीराम को नहीं दिलाया जा सका और यह मामला डबल आवंटन का था। उक्त वर्णित भूमि का कब्जा अपीलांट्स के दादा/पिता खुशिया उर्फ खुशीराम को पोंग बाध विस्थापितों के तहत तहसील घड़साना वर्तमान तहसील रावला के चक 5 केडब्ल्युएम प्रथम वर्तमान चक 5 केएनएम प्रथत का मुरब्बा नंबर 229/43 की 26 बीघा भूमि दिनांक 13.09.1973 को आवंटित हुई। अपीलांट्स के दादा/पिता खुशिया उर्फ खुशीराम को आवंटित रकबा के आवंटन को सेल रजिस्टर के खाता संख्या 37 के द्वारा उपायुक्त उपनिवेशन पुनर्वास बीकानेर के आदेश दिनांक 25.01.1977 को निरस्त कर दिया गया। इसी खसरा गिरदावरी सम्वत् 2045 से 2048 में एसीसी उपनिवेशन के आदेश दिनांक क्रमांक 264 दिनांक 18.05.1989 का हवाला देकर किसी अन्य व्यक्ति कीकर सिंह पुत्र नत्थू जाति चौधरी, साकिन दुग्गी को पोंग बांध विस्थापितों के तहत आवंटित होना दर्शाया गया है। राजस्व रिकॉर्ड में भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम दर्ज हैं। अपीलांट्स के दादा/पिता खुशिया उर्फ खुशीराम आवंटित भूमि बिना किसी सक्षम अधिकारी के आवंटन आदेश से किसी अन्य व्यक्ति किकर सिंह का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर दिया। इसलिए अपीलांट्स के दादा/पिता खुशिया उर्फ खुशीराम को आवंटित उक्त वादगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में किकर सिंह का नाम हटवा कर अपीलांट्स के दादा/पिता खुशिया उर्फ खुशीराम का दुरूस्त करवाने हेतु अपीलांट्स अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना के समक्ष प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना ने अपीलांट के उक्त प्रार्थना–पत्र कों खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.07.2024 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि के पिता/दादा खुशीराम पुत्र नन्दू को पूर्व में तहसील छत्तरगढ़ नं. 02 के चक 4 केडब्ल्युएम का मुं.न 57/03 दिनांक 28.09.1973 को आवंटन किया गया था लेकिन उक्त मुरब्बा किसी अन्य व्यक्ति को नवीनीकरण के संबंध में प्रकरण चल रहा था, इसलिए उक्त मुरब्बे का कब्जा अपीलांट्स पिता/दादा खुशिया उर्फ खुशीराम को नहीं दिलाया जा सका एवं मामला डबल आवंटन का था। उक्त वर्णित भूमि का कब्जा अपीलांट्स के दादा/पिता खुशिया उर्फ खुशीराम को पोंग बाध विस्थापितों के तहत तहसील घड़साना वर्तमान तहसील रावला के चक 5 केडब्ल्युएम प्रथम वर्तमान चक 5 केएनएम प्रथम का मुरब्बा

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नंबर 229/43 की 26 बीघा भूमि दिनांक 13.09.1973 को आवंटित हुई। अपीलांट्स के दादा/पिता खुशिया उर्फ खुशीराम को आवंटित उक्त वादगत भूमि के आवंटन को किसी भी न्यायालय द्वारा खारिज नही किया गया हैं। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2035 से 2038, 2039 से 2042 में लगातार अपीलांट्स के दादा/पिता खुशिया उर्फ खुशीराम के नाम चली आ रही थी। अपीलांट्स के दादा/पिता खुशिया उर्फ खुशीराम को आवंटित रकबा के सेल रजिस्टर के खाता संख्या 37 के द्वारा उपायुक्त उपनिवेशन पुनर्वास बीकानेर के आदेश दिनांक 25.01.1977 को निरस्त कर दिया गया। इसी खसरा गिरदावरी सम्वत् 2045 से 2048 में एसीसी उपनिवेशन के आदेश दिनांक क्रमांक 264 दिनांक 18.05.1989 का हवाला देकर किसी अन्य व्यक्ति कीकर सिंह पुत्र नत्थू जाति चौधरी, साकिन दुग्गी को पोंग बांध विस्थापितों के तहत आवंटित होना दर्शाया गया है। जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को यह भूमि कभी भी किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा आवंटित नही की गई, बल्कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर के पत्रांक एफ–10/पु.से/मि.स 300/83/73 दिनांक 15.01.2010 के द्वारा उपनिवेशन तहसील नाचना प्रथम के चक 13 केडब्ल्युडी के मुरब्बा नंबर 187/36 में 24 बीघा कमाण्ड भूमि आवंटित की गई है जो कि आज दिनांक तक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम दर्ज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का उक्त वादगत भूमि पर कभी भी कब्जा नही रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 स्वयं उपस्थित होकर अधीनस्थ न्यायालय में शपथ–पत्र की अपीलाधीन भूमि पर उसका कब्जा नही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम से उक्त भूमि बिना किसी आदेश के आवंटित होने का नोट अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में गलत अमल दरामद कर दिया गया है जबकि उक्त भूमि का अपीलांट्स के पिता/दादा खुशियां उर्फ खुशीराम के नाम का आवटंन आज दिनांक तक भी प्रभावी हैं जिसे किसी भी न्यायालय ने खारिज नही किया है। अपीलांट्स ने उक्त दोनों आदेशों की प्रतिलिपियां प्राप्त करने हेतु नकल प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किया, जिस पर यही रिपोर्ट दी गई कि इस प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। इसलिए अपीलांट्स अपने पिता/दादा खुशियां उर्फ खुशीराम को आवंटित उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 किकर सिंह का नाम दुरूस्त कर अपीलांट के दादा/पिता खुशिया उर्फ खुशीराम का नाम दर्ज कर दुरूस्त करवाने का अधिकारी हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलांट्स का दुरूस्ती का प्रार्थना–पत्र

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में उसी अनुसार अंकन करने के आदेश प्रदान करें।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने लिखित बहस एवं दौराने बहस कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को तहसील घड़साना वर्तमान तहसील रावला के चक 5 केडब्ल्युएम प्रथम वर्तमान 5 केएनएम प्रथत का मु.नं. 229/43 की 25 बीघा भूमि का कभी भी आवंटन नहीं हुआ, ना ही मन मिकर का कभी कब्जा उक्त वादगत भूमि पर रहा है। कब्जा अपीलांट्स का ही चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को आंवटित अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर के पत्रांक एफ—10/पु.से./मि.स.300/83/73 दिनांक 15.01.2010 के द्वारा उपनिवेशन तहसील नाचना प्रथम के चक 13 केडब्ल्युएम के मु.नं. 187/36 में 24 बीघा कमाण्ड भूमि अब आवंटित की गई थी जिस पर मन मिकर का कब्जा काश्त चला आ रहा है। मन मिकर के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में भी उक्त तथ्य का शपथ—पत्र प्रस्तुत किया गया था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाती है तो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को कोई आपत्ति नहीं है।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा लिखित बहस एवं दौराने बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना धारा—5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता हैं कि तहसीलदार(राजस्व) रावला से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के आवंटन खाते के सेल रजिस्टर की प्रमाणित प्रति चाहने पर तहसीलदार(राजस्व) रावला ने रिपोर्ट कर बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम से सेल रजिस्टर में खाता नहीं है। उक्त प्रकरण में सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ के आदेश क्रमांक 264 दिनांक 18.05.1989 की प्रमाणित प्रति उपनिवेशन विभाग से चाहने पर उपनिवेशन विभाग ने टिप्पणी कर बताया कि उक्त प्रकरण से संबंधित पत्रावली का अवलोकन करने पर उक्त आदेश क्रमांक 264 दिनांक 18.05.1989 पत्रावली में उपलब्ध नही है। इसी प्रकरण में उपायुक्त उपनिवेशन पुनर्वास बीकानेर के आदेश दिनांक 25.01.1977 मिसल सं. 26/8/76 जिसकी रूह से खुशीया उर्फ खुशीराम पुत्र नन्दू के 5 केडब्ल्युएम प्रथम वर्तमान चक 5 केएनएम प्रथम का मु.

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न 229/43 आवंटन खारिज किया गया उसकी प्रमाणित प्रति चाहने पर उपनिवेशन विभाग ने टिप्पणी कर बताया कि उक्त प्रकरण से संबंधित पत्रावली इस अनुभाग में नहीं है। अर्थात् उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का आवंटन आदेश, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के आवंटन का सैल रजिस्टर में खाता एवं अपीलांट के दादा/पिता खुशीया उर्फ खुशीराम पुत्र नन्दू का वादगत भूमि के आवंटन को खारिज किए जाने वाला आदेश भी पत्रावली में नही है अर्थात् उक्त सभी आदेश अस्तित्व में ही नहीं है। साथ ही पत्रावली के अवलोकन के पश्चात ज्ञात होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 किकर सिह पुत्र नत्थु ने वादगत भूमि के संबंध में शपथ–पत्र प्रस्तुत कर बताया है कि उक्त वादगत भूमि उसे आवंटित नही हुई हैं ना ही उसका कभी उक्त भूमि पर कब्जा रहा है। कब्जा अपीलांट्स का ही चला आ रहा हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को आंवटित अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर के पत्रांक एफ–10/पु.से./मि.स.300/83/73 दिनांक 15.01.2010 के द्वारा उपनिवेशन तहसील नाचना प्रथम के चक 13 केडब्ल्युएम के मु.नं. 187/36 में 24 बीघा कमाण्ड भूमि अब आवंटित की गई थी जिस उसका कब्जा काश्त चला आ रहा है।

उपरोक्त विवेचन से यह प्रतीत होता है कि उक्त वादगत भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम अंकन सहवन से दर्ज होना प्रतीत हो रहा है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के आदेश दिनांक 08.07.2024 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के प्रावधानों को ध्यान में रखकर जारी नही किया गया हैं जो न्यायोचित नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के निर्णय दिनांक 08.07.2024 को निरस्त किया जाता है। साथ ही तहसीलदार(राजस्व) रावला को आदेशित किया जाता है कि उक्त वादगत भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में मूल आवंटी, खुशीया उर्फ खुशीराम के वारिसान के नाम अंकन एवं अमलदरामद करावें एवं नियमानुसार किश्तों की राशि जमा करवाकर खातेदारी सनद् जारी की जावें।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 08.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर